# 25 जनवरी, 2010 को 1100 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "भारत का निर्वाचन आयोग" के हीरक जयंती समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी का अभिभाषण

इस गणराज्य का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें भाग ले रहा हूँ।

भारत के निर्वाचन आयोग ने संविधान द्वारा इसे सौंपे गए एक पवित्र उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के कार्य को बखूबी निभाया है।

1950 में इसको एक अनूठे लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में तथा हमारे नागरिकों के निर्णय में विश्वास के रूप में देखा गया; आज दुनिया को इसके प्रयासों के पैमाने, उसकी प्रभावोत्पादकता और व्यापकता पर आश्चर्य होता है।

कोई भी समारोह खुशी का मौका होता है। किसी राष्ट्र के मामले में, यह अन्तरावलोकन का भी समय होता है। छः दशकों के बाद, एक उचित विचार यह होगा कि गिलास न तो खाली है, न ही पूरी तरह से भरा है बल्कि यह आधे से अधिक भरा है।

हमने प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की स्थापना की है और उसे कायम रखा है। और फिर भी, राजनीतिक समानता और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता के विरोधाभासों के संबंध में डा. अम्बेडकर की पूर्व-चेतावनी सही साबित हो रही है। "एक व्यक्ति एक मत और एक मत एक मूल्य" का सपना अभी भी साकार नहीं किया जा सका है।

निर्वाचन आयोग अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए समाज, राज-व्यवस्था और प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को उत्कृष्ट रूप से ढाल रहा है। तथापि तीन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं:

प्रथमतः, जहां हमने स्थानीय शासन के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करने के मामले में पर्याप्त दूरी तय कर ली है, वहां सरकार के तृतीय स्तर पर वास्तविक सशस्तीकरण और सहभागी शासन संबंधी कार्य अभी भी चल ही रहा है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार यह आशा की जा सकती है कि स्थानीय स्वशासन के स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के मामले में भारत के निर्वाचन आयोग के साथ समन्वय और अनुभवों तथा संसाधनों की साझेदारी से लाभ होगा।

द्वितीयतः, कठोर प्रयास किए जाने के बावजूद राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार चुनावों पर बेहिसाब धन खर्च करते हैं। इनका संबंध चुनावों के दौरान मुफ्त उपहारों, शराब और नकद धन राशि के वितरण, विज्ञापनों की वैकल्पिक परिघटना और "पेड न्यूज" तथा "कवरेज पैकेजों" का मीडिया-संबंधित व्यापक कदाचार से है। इनमें से प्रत्येक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों के लक्ष्य पर धब्बा है। इसके लिए निर्वाचन आयोग और हमारे राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

तृतीयः, निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में आन्तरिक तौर पर प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का आग्रह किया है और उसे लागू किया है। अब राजनीतिक दलों के समक्ष स्थायी संगठनात्मक लोकतंत्र लाने की चुनौती है।

देवियो और सज्जनो,

भारत की संविधान सभा में कहा गया था कि भारतीय मिट्टी पर लोकतंत्र केवल एक खाद भर है जो कि अनिवार्यत: अलोकतांत्रिक थी। इस बात के लिए राष्ट्र को निर्वाचन आयोग की सराहना करनी चाहिए और आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने हमारी जमीन को लोकतंत्र के बीज के लिए और अधिक उर्वर बनाया।

मैं श्री नवीन चावला और निर्वाचन आयुक्तों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुझे यहां आमंत्रित किया। मैं निर्वाचन आयोग के प्रयासों की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।